



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र रजौरा खुर्द)
प्रकरण संख्या : 08/2013

बमुक0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

बनाम

श्री सौदानसिंह, फैरनसिंह पिस0 जनकसिंह, भगवानदेई पत्नी स्व0 रामसिंह,
राजकुमार, रामअवतार पिस0 रामसिंह, कमला, माया, सन्नो, प्रेमवती, सुनीता पुत्रीयांन
रामसिंह, विजयसिंह पुत्र कप्तानसिंह कौम ठाकुर निवासी तसीमो तहसील सैपऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

25.05.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रजौरा खुर्द पर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2006 रकवा 12 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें उन्होंने बिना भूमि रूपान्तरण कराये मोबाईल टावर स्थापित कर दिया है। कृषि भूमि को उन्हें मोबाईल टावर स्थापित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त कर मोबाईल टावर के उपयोग में ली गई भूमि को राज्य सरकार (सिवायचक) दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों के सम्बन्ध में **Department of Urban Development and Housing Govt. of Rajasthan** ने आदेश क्रमांक f .10(147)UDH/3/2008 part III Date 6 feb.2017 जारी कर निर्धारित फीस प्राप्त कर बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों को नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी कार्यवाही पृथक से की जानी है। इसलिये अब इस प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैंसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।